सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 2017/223 दायर दिनांक 09.08.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. दलीपसिंह पुत्र श्री किशनसिंह जाति राजपूत निवासी रसीदपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)	बनाम्	1. मोतीराम पुत्र हरूराम 2. पन्नाराम पुत्र हरूराम जाति जाट निवासी रसीदपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 3. विजेन्द्रसिंह पुत्र इन्द्रसिंह 4. भगवानसिंह पुत्र इन्द्रसिह जाति राजपूत निवासी रसीदपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 5. लिछमण पुत्र सुखा 6. छगना पुत्र सुखा 7. नारायण पुत्र सुखा जाति माली निवासी रसीदपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 8. रामगोपाल पुत्र भानाराम जाति मेघवाल निवासी चिडासरा तहसील दांतारामगढ 9. बजरंगसिंह पुत्र सुंखसिह जाति दरोगा निवासी रसीदपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 10. सुजानसिंह पुत्र मगनसिंह 11. जबरसिंह पुत्र बोदूसिंह जाति राजपूत निवासी रसीदपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 12. मदनलाल पुत्र रूधनाथ जाति स्वामी निवासी रसीदपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 13. लालचन्द पुत्र गणेशलाल जाति जांगिड निवासी रसीदपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 14. युवराजसिंह पुत्र बजरंगसिंह 15. अजयसिंह पुत्र बजरंगसिंह जाति राजपूत निवासी रसीदपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 16. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

दावा बाबत बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53, 188 राज. काश्त. अधि.

उपस्थित–

1. श्री केशव औझा अधिवक्ता, वादी।
2. प्रतिवादीगण सं0 01 ता 16 अनुपस्थित,।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

—:: निर्णय ::—

दिनांक 23.01.2019

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, मौजा रसीदपुरा की शहरद मे खेत ख.न. 228 रकबा 15 बीघा व खेत ख. न. 226 रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा कुल रकबा 31 बीघा 14 बिस्वा स्थित है। इन खसरा नम्बरान की भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 15 के नाम से संयुक्त अंकित है।नकल खतौनी दावा के साथ में प्रस्तुत है।

उपरोक्त वर्णित खेत ख.न. 228 रकबा 15 बीघा व खेत ख. न. 226 रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा कुल रकबा 31 बीघा 14 बिस्वा वाके शरहद रसीदपुरा का पक्षकारान मुकदमा हाजा के बीच वर्षो बीच आपसी सहमति से बन्टवारा हो चुका है।और वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 15 अपने—अपने हक हिस्से की भूमि को काश्त करते कराते है।इन खसरा नम्बरान की भूमि मे से ख.न. 228 रकबा 15 बीघा वाके शरहद रसीदपुरा मे से वादी के 06 बीघा 10 बिस्वा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 14 ता 15 के हक हिस्से की हैं।जिसमे से 03 बीघा 15 बिस्वा भूमि वादी की शेष 02 बीघा 15 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 14 ता 15 के हक हिस्से की है।

यद्यपि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 15 अपने—अपने हक हिस्से की भूमि पर शान्तिपुर्वक काबिज चले आ रहे है।मगर उक्त खसरा नम्बरान की भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 15 के बीच बन्टवारा बाई मीटस एण्ड बाउन्डस के नही होने से वादी अपने हक हिस्से की भूमि को सुरक्षित नही समझता है।राजस्व रिकार्ड में खातेदारी संयुक्त रूप से अस्पष्ट अंकित है।जिससे पक्षकारान मुकदमा हाजा के बीच सीमाओ को लेकर तनाजा रहने लगा है।अतः वादी को यह दावा बाबत बन्टवारा का करना लाजमी आया है।

वादी ने उपरोक्त वाद के पद संख्या एक मे वर्णित खेत ख.न. 228 रकबा 15 बीघा व खेत ख. न. 226 रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा कुल रकबा 31 बीघा 14 बिस्वा वाके शरहद रसीदपुरा मे से अपने कब्जा काश्त तथा हक हिस्से की भूमि को कडी मेहनत करके उपजाउ कर लिया है।अब प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदारी की आड मे वादी को उसके कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल करने की धमकियॉ देने लगे है।प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई हक अधिकार नही है।यदि प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदारी की आड मे वादी को उसके कब्जा काश्त से बेदखल कर देगे तो वादी को अजहद नुक्शान होगा।अतः वादी को यह दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का करना लाजमी आया है।

प्रार्थना वादी है कि

कि वाद के पद संख्या 01 में वर्णित खेत ख.न. 228 रकबा 15 बीघा व खेत ख. न. 226 रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा कुल रकबा 31 बीघा 14 बिस्वा वाके रसीदपुरा की वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 15 के बीच बन्टवारा बाई मीटस एण्ड बाउन्डस के किया जाकर खसरा नम्बर 228 में से 03 बीघा 15 बिस्वा भूमि वादी की तथा 02 बीघा 15 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 14 ता 15 को बन्ट में दिलाई जाकर राजस्व रिकार्ड में स्वतन्त्र खातेदारी अंकित की जावे।

कि वादी के पक्ष मे प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जावे कि भविष्य मे वाद के पद संख्या एक मे वर्णित खेत ख.न. 228 रकबा 15 बीघा व खेत ख. न. 226 रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा कुल रकबा 31 बीघा 14 बिस्वा वाके शरहद रसीदपुरा मे से वादी के हक हिस्से व

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

बन्ट की 03 बीघा 15 बिस्वा भूमि तथा शेष 02 बीघा 15 बिस्वा भूमि जो कि प्रतिवादी संख्या 14 ता 15 के बन्ट की हैं। अन्य प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखल अन्दाजी हस्तक्षेप न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 16 को वास्ते जवाबदेही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया।प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 16 अनुपस्थित।

दिनाकं 07.09.2018 को वादी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत प्रतिवादी संख्या 10 को वाद से डिलिट किये जाने का पेश किया जो स्वीकार किया।पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

दिनाकं 15.01.2019 को वादी ने अपनी साक्ष्य मे शपथ–पत्र पेश किया।पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

बहस अधिवक्ता वादी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया व उन पर मनन् किया गया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

:–आदेश–:

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, खेत ख.न. 228 रकबा 15 बीघा व खेत ख. न. 226 रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा कुल रकबा 31 बीघा 14 बिस्वा वाके शरहद रसीदपुरा मे से खसरा नम्बर 228 में से वादी के हक हिस्से व बन्ट की 03 बीघा 15 बिस्वा भूमि तथा शेष 02 बीघा 15 बिस्वा भूमि जो कि प्रतिवादी संख्या 14 ता 15 के बन्ट की नजरी नक्शा अनुसुची ,,क,, के अनुसार घोषित की जाती है नजरी नक्शा अनुसुची ,,क,, निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक **23.01.2019** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2017/223** दायर दिनांक **09.08.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. दलीपसिंह पुत्र श्री किशनसिंह जाति राजपूत निवासी रसीदपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)	बनाम्	1. मोतीराम पुत्र हरूराम 2. पन्नाराम पुत्र हरूराम जाति जाट निवासी रसीदपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 3. विजेन्द्रसिंह पुत्र इन्द्रसिंह 4. भगवानसिंह पुत्र इन्द्रसिह जाति राजपूत निवासी रसीदपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 5. लिछमण पुत्र सुखा 6. छगना पुत्र सुखा 7. नारायण पुत्र सुखा जाति माली निवासी रसीदपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 8. रामगोपाल पुत्र भानाराम जाति मेघवाल निवासी चिडासरा तहसील दांतारामगढ 9. बजरंगसिंह पुत्र सुंखसिह जाति दरोगा निवासी रसीदपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 10. सुजानसिंह पुत्र मगनसिंह 11. जबरसिंह पुत्र बोदूसिंह जाति राजपूत निवासी रसीदपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 12. मदनलाल पुत्र रूधनाथ जाति स्वामी निवासी रसीदपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 13. लालचन्द पुत्र गणेशलाल जाति जांगिड निवासी रसीदपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 14. युवराजसिंह पुत्र बजरंगसिंह 15. अजयसिंह पुत्र बजरंगसिंह जाति राजपूत निवासी रसीदपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 16. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

दावा बाबत बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53, 188 राज. काश्त. अधि.

दिनांक **23.01.2019**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री केशव औझा अधिवक्ता, वादी उपस्थित व प्रतिवादीगण सं0 01 ता 16 ,अनुपस्थित । मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि–

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, खेत ख.न. 228 रकबा 15 बीघा व खेत ख. न. 226 रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा कुल रकबा 31 बीघा 14 बिस्वा वाके शरहद रसीदपुरा मे से खसरा नम्बर 228 में से वादी के हक हिस्से व बन्ट की 03 बीघा 15 बिस्वा भूमि तथा शेष 02 बीघा 15 बिस्वा भूमि जो कि प्रतिवादी संख्या 14 ता 15 के बन्ट की नजरी नक्शा अनुसुची ,,क,, के अनुसार घोषित की जाती है नजरी नक्शा अनुसुची ,,क,, निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–.. ....खर्चा इस मुकददमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **23.01..2019** को जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प वकालतनामा			वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महनताना वकील	–		महनताना वकील		
खर्चा गवाहान	–		खर्चा गवाहान		
फिस कमिश्नर			फिस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner